न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 56)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. गुड्डी उर्फ प्रकाशो पुत्री काना राम पत्नी कृष्ण लाल जाति नायक निवासी 43 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू– 06.03.2024

उपस्थितः 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादिया

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– दिनांक : 09.05.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 के मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 1.176 हैक्टेयर भूमि वादिया के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में वादिया का नाम गुडी अंकित है। वादिया उक्त खाता में नाम प्रकाशो दर्ज करवाना चाहती है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। वर्तमान में फसल बेचान, अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र तथा जमाबंदी एवं गिरदावरी इत्यादि दस्तावेजात ऑनलाईन हो चुके है, जिनका दस्तावेजो के अनुरूप खातेदार का नाम मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण इत्यादि की स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओ से वादिया को झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादिया माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रही है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 के मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 1.176 हैक्टेयर में अंकित नाम गुडी पुत्री काना राम के स्थान पर गुड्डी उर्फ प्रकाशो पुत्री काना राम पत्नी कृष्ण लाल दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1775 दिनांक 25.04.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 3 एक्स की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 14 के मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 1.176 हैक्टेयर भूमि गुडी पुत्री काना राम जाति नायक निवासी बडिंगा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुड्डी पुत्री काना राम जाति नायक 43 एफ बडिंगा की निवासी है। शादी के समय प्रार्थिया का नाम गुड्डी था। लेकिन शादी के बाद गुड्डी का नाम प्रकाशों कर दिया गया, एंव गुड्डी का नाम ही वर्तमान में प्रकाशों बताया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 की छायाप्रति, कृषि जोत पासबुक की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

की छायाप्रति, राजस्थान सरकार पहचान पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 के मुरब्बा नम्बर 59 की कुल 1.176 हैक्टेयर में अंकित नाम गुडी पुत्री काना राम के स्थान पर गुड्डी उर्फ प्रकाशो पुत्री काना राम पत्नी कृष्ण लाल दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, कृषि जोत पासबुक की छायाप्रति में नाम गुडी पुत्री काना राम दर्ज है, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, राजस्थान सरकार पहचान पत्र की छायाप्रति में नाम प्रकाशो अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका बनाया गया, जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि गुड्डी पुत्री काना राम जाति नायक 43 एफ बडिंगा की निवासी है। शादी के समय प्रार्थिया का नाम गुड्डी था। लेकिन शादी के बाद गुड्डी का नाम प्रकाशों कर दिया गया, एंव गुड्डी का नाम ही वर्तमान में प्रकाशों बताया गया। अतः वाद पत्र वादिया रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 में अंकित नाम गुडी पुत्री काना राम के स्थान पर गुड्डी उर्फ प्रकाशो पुत्री काना राम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुड्डी उर्फ प्रकाशों बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर 35/2024
निर्णय दिनांक :- 09.05.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने** पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चक 3 एक्स, पटवार हल्का 2 एक्स, भू.अ.नि. क्षेत्र धनुर, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/14 में अंकित नाम गुडी पुत्री काना राम के स्थान पर गुड्डी उर्फ प्रकाशो पुत्री काना राम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 09.05.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/185
दिनांकः 09.05.2024

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर